

राजस्थान सरकार  
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प.12(9)गृह-1 / 2011-पार्ट

जयपुर, दिनांक 29.07.2016

आज्ञा

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 62(1) व 66 के प्रावधानों के अनुसार जिला बांसवाडा हेतु जिला स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

- |    |   |            |
|----|---|------------|
| 1- | श्री मुकेश रावत<br>एडवोकेट, जिला बांसवाडा।                                | अध्यक्ष    |
| 2- | श्रीमती श्यामा राणा,<br>पूर्व पार्षद सदस्या, उपभोक्ता मंच, जिला बांसवाडा। | सदस्य      |
| 3- | श्री तुलसी राम जोशी, सेवानिवृत्त, आर0ए0एस0<br>ठीकरिया, जिला बांसवाडा।     | सदस्य      |
| 4- | श्री राजेन्द्र पंचाल<br>घाटोल, जिला बांसवाडा।                             | सदस्य      |
| 5- | अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,<br>जिला-बांसवाडा।                                 | सदस्य सचिव |

उक्त अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत इस समिति की पदावधि दो वर्ष की होगी।

आज्ञा से,

*Sd-*

(पवन कुमार जैन)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
- 2- विशिष्ट सहायक, माननीय गृह मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3- वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह/शासन सचिव, गृह।
- 5- महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
- 6- जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, बांसवाडा।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, शासन सचिवालय जयपुर।

*Sd-*  
29/7/2016  
(कैलाश चन्द्र गुप्ता)

वरिष्ठ शासन उप सचिव, पुलिस